भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1199

06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भिवंडी, महाराष्ट्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज

1199. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि महाराष्ट्र के भिवंडी जैसे औद्योगिक और शहरी क्षेत्र में क्षेत्र के गरीब और कामकाजी वर्ग को राहत देने और क्षेत्र के मौजूदा सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भिवंडी जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र को मेडिकल कॉलेज से वंचित रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भिवंडी में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के किसी प्रस्ताव को स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी ज़िलों के लिए, जहाँ कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं है, प्राथमिकता के साथ 'मौजूदा ज़िला/रेफ़रल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण प्रणाली पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत, महाराष्ट्र में 2 मेडिकल कॉलेज (चरण-I में गोंडिया और चरण-III में नंदुरबार) सहित प्रस्तावित सभी 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को तीन चरणों में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। ये दोनों मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार की ओर से भिवंडी में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
